न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 29 / 24 वाद   GCMS N0 : 2024 / 00067
पूर्व प्रकरण संख्या : 29 / 18 वाद

श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता वेणा जी डांगी, धर्मपत्नी लोगर जी डांगी, निवासी–देवरे की मंगरी, भुवाणा, तहसील बंड़गाव, उदयपुर

.....वादीया

बनाम

1. श्री वेणा पिता स्व. गांगा जी डांगी, निवासी–त्रिमुर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी सेक्टर 4, मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. श्री अम्बालाल पिता वेणा जी डांगी, निवासी–त्रिमुर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी सेक्टर 4, मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

(<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>)

उपस्थित :– श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी
श्री पन्नालाल [illegible] आशीष मारू अधिवक्ता
प्रतिवादी / प्रार्थी [illegible] व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 16.08.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादीया श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता वेणा जी डांगी धर्मपत्नी लोगर जी डांगी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 जा.दी. का पेश किया जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित मौरूसी सम्पति है, जिसका अंकन वादीया द्वारा वाद की कलम संख्या 3 व 4 में किया गया है तथा वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्से की घोषणा एवं निषेधाज्ञा द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीया द्वारा पूरे वाद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी है अथवा वादग्रस्त आराजीयात का उद्गम कहॉ से हुआ तथा वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति होने का कथन करता है तो उसे अपने वाद पत्र में आज्ञापक रूप से स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किस प्रकार से वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी सम्पत्ति है। प्रकरण में वादीया द्वारा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में ही हस्तगत वाद घोषणा एवं निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपने पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में हिस्सा दर्ज था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने समस्त विधिक अधिकारों के तहत् प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड दान पत्र कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। वादीया द्वारा उक्त दान पत्र को शून्य घोषित फरमाने जाने बाबत् भी माननीय न्यायालय से अनुतोष मांगा गया है। पंजीकृत हस्तान्तरण विलेख को दीवानी न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता है। वादीया उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेवे तब तक वादीया को माननीय न्यायालय में हस्तगत वाद का कारण पैदा नहीं होता है। अतः निवेदन है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को वाद कारणों के अभाव में निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादीया ने अपने वादपत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि उक्त भूमि कहॉ से आई है। वादीया ने अपने वादपत्र के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने वादीया का वादपत्र का जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन पत्रावली वास्ते जिरह बहुत लम्बे समय से चल रही है और प्रार्थी/प्रतिवादी जानबूझकर वादीया से जिरह नहीं कर प्रकरण को लम्बा कर रहे है, इसलिए बिना किसी आधार के इस प्रकार का प्रार्थना पत्र लाया गया है कि वादीया को अपने पिता के जीवनकाल में घोषणा का वाद प्रस्तुत क[illegible] अधिकार नहीं है। वादीया का वाद किसी भी विधि से बाधित नही है। वादीया ने अपने [illegible]दपत्र में स्पष्ट अभिवचन किया है कि उक्त तथाकथित दानपत्र वादीया के अधिकारों [illegible] शून्य है, न कि शून्यकरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज है। दानपत्र विधिक अधिकारों के तहत् किया गया हो, बल्कि मौरूसी भूमि का दापत्र निष्पादित करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही था। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। दस्तावेजों का अध्ययन किया।

दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा निम्न दृष्टांत पेश किए गएः—

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत :—

1. AIR 1998 Supereme Court I.T.C. Ltd Vs. Debts Recovery Appellate Tribunal Page no 634
2. AIR 2016 Delhi 120 Surender kumar Vs Dhani Ram & Ors. Page No 120
3. AIR 1986 Supereme Court Commission Of wealth Tax etc Kanpur Vs Chander Sen Page no 1753
4. DNJ Supereme Court Of India Uttam Vs saubhag Singh Page no 258
5. AIR No 2236 Mallika & Ors. Vs Chandrappa decided on 10-01-2007
6. RRT(1) 2010 Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer Ranjeet Kaur Vs Bhagwan Das Page no 124
7. AIR 1977 Supereme Court Page No 2421
8. RRD 2010(1) Page No 124
9. AIR 1987 Supereme Court Yudhishter Vs. Ashok Kumar Page no 558
10. AIR 2017 Ramesh Verma Vs Lajesh Saxena Page No 494
11. 2014(1) ADR Sushant Vs Sunder Shyam Singh Page No 330
12. AIR NOC 2236 Mallika & Ors. Vs Chandrappa Decided On 10.01.2007

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत :–

1. निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर भागीरथ बनाम हड़मानराम दिनांक 27.07.2010 पेज नम्बर 725

2. निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अमरसिंह बनाम प्रभुदयाल दिनांक 03.09.2012 पेज नम्बर 1240

3. RRT 2013(2) Board OF Revenue For Rajasthan, Ajmer Page No 1248

हमने सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसके वाद पत्र में निम्नलिलिख दशाओं में नामजूंर कर दिया जाएग :–

1. जहां वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद–पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद–पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता,
6. जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवम् न्यायायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि वादिया श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता वेणा डांगी धर्मपत्नी लोगर डांगी निवासी देवरे की मगरी, भुवाणा द्वारा एक वाद इस न्यायायल में पेश किया जिसमें उन्होने निवेदन किया गया कि राजस्व मौजा मनवाखेड़ा, पटवार हल्का कलड़वास तहसील गिर्वा, उदयपुर की आराजी संख्या खाता संख्या 372 के आराजीयात आराजी संख्या 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 व 449 कुल किता 15 कुल रकबा 1.6250 हैक्टयर तथा इसी प्रकार खाता संख्या 373 के आराजीयात आराजी संख्या 423, 424, 1207, कुल किता 03 कुल रकबा 0.8350 हैक्टयर व खाता संख्या 374 के आराजी संख्या 419 रकबा 0.0250 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में [illegible] के पिता वेणा जी डांगी का खाता संख्या 372 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 373 में 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 374 में 1/3 हिस्सा अंकित है। वादीया ने अपने वाद में अंकित किया कि उक्त भूमि सजरे के अनुसार मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia.
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

पुरूष लाखा जी डांगी की थी। लखा जी एकमात्र पुत्र गांगा जी थे और गांगा के दो पुत्र वेणा व लाला थे। वादीया वेणा जी की पुत्री है एवं उक्त भूमि मौरूसी होने के कारण वादीया का उक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 वेणा जी उक्त भूमि का अन्य को बेचान करने की आशंका होने के कारण उक्त भूमि में वादीया का हिस्सा घोषित किया जावे। प्रतिवादी द्वारा जवाब देने के बाद तनकी कायम की गई एवम् पत्रावली साक्ष्य में नियत थी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 पेश कर न्यायालय से निवेदन किया गया कि वादीया ने अपने वाद में कथन किया गया कि उक्त भूमि मौरूसी है, परन्तु वाद में कहीं स्पष्ट नहीं किया कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार मौरूसी सम्पत्ति है तथा वादग्रस्त आराजीयात का उद्‌गम किस प्रकार हुआ एवम् वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई। अतः वादीया द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से कहीं भी उक्त सम्पत्ति मौरूसी प्रकट नहीं होती है एवम् वादी का वाद प्रारभिक स्तर पर ही खारिज किया जावे एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड जब तक वादीया किसी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेवें तब तक वादीया को माननीय न्यायायल में हस्तगत वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त फरमाया जावें। अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी जानबूझकर उक्त दावे को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबकि वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं होकर कानूनन सही है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया गया कि यदि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया जावे तो वादीया का वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाने योग्य है क्योंकि उन्होने दावे के मूलपुरूष लाखा जी की मृत्यु कब हुई यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से प्रभावशाली होने से वादग्रस्त आराजीयात में वेणा जी के पिता हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वेणा जी के पिता गांगा जी, जो उस सम्पत्ति के सम्पूर्ण रूपेण मालिक है उनको हर प्रकार से सम्पत्ति का हस्तानान्तरण का अधिकार है। वेणा जी की मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति का अधिकार वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 में स्वतः निहित है। वादीया ने पूरे वाद में कहीं पर भी यह स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात का उद्‌गम कहां से हुआ है जबकि विधि अनुसार यह आवश्यक है कि वादिया अपने दावे में यह स्पष्ट अंकन करे कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पति किस प्रकार से है। जिससे प्रतिवादी इस हेतु जबाब पेश कर सके। वर्तमान समय में वादिया के पिता श्री वेणा जी जीवित होकर इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 है। पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र एवम पुत्रियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है जिससे वादिया को अपने पक्ष में न्यायालय से किसी प्रकार की घोषणा कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादीया ने हस्तगत प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को समझा ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वेणा जी ने प्रतिवादी संख्या 2 अम्बालाल के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र से भूमि को हस्तान्तरित कर दिया है एवम कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है इस कारण जब तक वादीया रजिस्टर्ड दान पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा देवे तब तक वादीया को कोई [illegible] कारण उत्पन्न नहीं होता है इस कारण भी वाद चलने योग्य नहीं है । प्रस्तुत न्यायायिक दृष्ट[illegible] की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने निवेदन किया गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात् पुत्र को पिता के जीवनकाल में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण पुत्र अथवा पुत्रियों को घोषणा का दावा लाने का अधिकार नहीं है एवम वादीया ने अपने वाद में अपने पिता का नाम सजरे में अंकित कर वादग्रस्त आराजीयात को मौरूसी सम्पत्ति बता दिया है जो किसी भी स्थिति में मौरूसी सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किया गया है, वह वॉइडेबल दस्तावेज है, जिसे सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना इस न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने बहस के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गये :–

1. AIR 1906 Supereme Court page no 1753
2. AIR 1007 Supereme Court page no 558
3. 2016 DNJ Supereme Court page no 258
4. AIR 2017 Supereme Court page no 494

उपरोक्त वर्णित सभी न्यायिक दृष्टान्तों में इस बिन्दु को पूर्णतया निर्धारित कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन् 1956 के पश्चात् होती है और उसके पहले से कॉपार्शनरी बनी हुई नहीं है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार ही उत्तराधिकार खुलेगा एवं इस स्थिति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के जीवनकाल में उसके पुत्र, पुत्रियों को वाद लाने का अधिकार नही होगा। हस्तगत प्रकरण के तथ्य भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टान्त 2017 DNJ पेज नम्बर 258 में वर्णित तथ्यों के समान ही है।

इसी प्रकार किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति है, पर्याप्त नहीं है। वादीगण को यह बताना होगा कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व HUF बनी थी अथवा नहीं। अगर यह स्थिति नहीं है तो किसी भी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति नही माना जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कोई भी वाद कारण दर्शित नहीं करता है। जो न्यायिक दृष्टांत AIR 2018 देहली पेज नम्बर 120 से सुस्पष्ट है। न्यायिक दृष्टांत 2014 (1) ADR 330 के वाद में वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वादीगण का वाद कोई भी वाद कारण दर्शित नहीं करता है। इस दृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि :–

Hindu Succession Act (30 of 1956), S.8-Suit for partition-Maintainability - Hindu male died intestate- Hindu Undivided Family not in existence prior to Hindu Succession Act coming into force - Properties inherited by deceased owner on demise of his father would become his personal properties Son of deceased owner would not acquire any co-parcenary share in properties till owner was alive-Such property would devolve on son of

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

deceased in his individual capacity on death of owner - Claim of grandson of deceased for partition of suit properties on ground that same were ancestral, not maintainable.

A.I.R.N.O.C. 2236 (KARNATAKA H.C.)

Hindu Succession Act (30 of 1956), S.8 Ancestral property - Property inherited by sons in individual capacity - Son's son/sons have no right therein as coparceners by their birth - Sale deed executed by one of members of family- Plaintiffs as sons are not entitled to declaration that sales are not binding on their shares

Though under traditional Hindu Law, From the moment as son is born, he gets a share in his father's ancestral property and becomes a coparcener, on accrual of that right by his birth in the family, that position is affected and modified by Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956. Consequently, the property of the father who had separated from his family, on his death will be inherited and held by his sons in their individual capacity and son's son/sons will have no right therein as coparceners. AIR 1986 SC 1753- Foll. (Paras 16, 17, 18)

उपरोक्त आधारों से यह स्पष्ट है कि मूल पुरूष लाखा जी के देहावसान पर उसका पुत्र गांगा जी तथा गांगा जी के बाद वेणा जी सम्पूर्ण रूप से मालिक होगा तथा श्री वेणा जी के जीवन काल में उसके पुत्र व पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र है जिससे यह दान पत्र वॉईडेबल है इस कारण इस दान पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वाद चलने योग्य नहीं है, जो निम्न न्यायायिक दृष्टांत से स्पष्ट है :–

RRD 2010(1) Page No 124

Code of Civil Procedure, 1908 - Order 7 Rule 11 - Application rejected - (H) Purchased the land by Regd. Sale deed from Rajection of plaint - plaintiffs No. 1 to 3 & the name of plaintiffs deleted & name of petitioners entered in the record after the death of (H) being legal heirs - unless the sale is set aside by the competent civil court, suit is not maintainable- Held, order set aside & suit rejected.

इसी प्रकार विद्वान वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि वाद में जवाब लेकर साक्ष्य से वाद को तया किया जावे। इसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा निर्धारित किया हे कि मेरिटलेस वाद को प्रारभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए ताकि न्यायालयों का समय अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं हों। अंत में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने निवेदन किया गया कि उपरोक्त समस्त कारणों से वादीया का वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण सभी कथनों को अपने जवाब दावें में उठाने के लिए स्वतंत्र है एवम् सभी कथनों पर तनकीयात बनाई जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है। वादीया का वाद विधि द्वारा बाधित नहीं है। वादीया का वादग्रस्त सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया दानपत्र बेअसर शून्य एवम् बेअसर होने से निरस्त कराना आवश्यक नहीं है। विद्वान अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता अने अपने बहस के समर्थन में न्याययिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें वादीया ने अपने पिता वेणा जी के जीवित रहते अपनी खातेदारी घोषणा हेतु दावा किया है। वादीया ने बताया कि उक्त सम्पत्ति मौरूसी है तथा उनका उस पर हक अधिकार है तथा वेणा जी को यह सम्पत्ति उसके पिता गांगा जी से प्राप्त हुई। वादीया ने अपने दावे में कहीं भी मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई एवं उनके दादा गांगा जी की मृत्यु कब हुई उसके बारे में कहीं भी दावे व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. के जवाब में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित सजरे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, जिसका वर्णन वादपत्र में नहीं किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष लाखा जी की मृत्यु के पश्चात् धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके पुत्रों में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। प्रथम श्रेणीयों के उत्तराधिकारियों के जीवन काल में उनके पुत्र व पुत्रियों का कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायायिक दृष्टांत के सम्मानपूर्वक के अवलोकन से सुस्पष्ट है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 वेणा जी के हिस्से मात्र तक ही सिमित है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 वेणा जी जीवित है तो उनके जीवनकाल में उनके पुत्र अथवा पुत्रियों का कोई अधिकार निहित नहीं होता है। हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत 2016 DNJ (SC) page no 258 के प्रकाश में इसका अवलोकन करे तो वादी का वाद चलने योग्य नही है।

प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत 2014 (1) ADR page no 330 प्रकाश में यह भी अवलोकन करे तो भी यह स्पष्ट होता है कि वाद में वर्णित आराजीयात किसी भी प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति नहीं हो सकती है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत AIR 2016 Delhi Page no 120 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद में यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति किस प्रकार मौरूसी है। इस न्यायायिक दृष्टांत में यह दर्शाया [illegible] है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

" NO averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property (s) from his paternal ancestors prior to 1956 - properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands - it can be said that suit does not disclose casue of action and hence liable to be dismissed. "

उक्त न्यायायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नहीं है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवम् मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ईस्वी के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व UHF बनी थी अथवा नहीं। यदि वादपत्र में यह स्थिति वर्णित नहीं है तो किसी भी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता एवं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कोई भी वादकारण दर्शित नहीं करता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किए गए है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीया द्वारा जब अपने वादपत्र में इस प्रकार के कोई कथन वर्णित नही किए गए है तो पृथक साक्ष्य भी पेश नहीं किये जा सकते, तद्नुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् वादीया के वादपत्र को ही देखा जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी वादीया का वाद ऐसा कोई वाद हैतृक प्रकट नहीं करता है, जिससे उक्त सम्पत्तियों में उसका हक प्रकट होता हो। वादीया द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही हस्तगत वाद घोषणा का दावा पेश किया गया। वादीया का जन्म 1956 के बाद हुआ जो प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर सन् 1996 में हुआ। इस वाद में वादीया ने यह कहीं उल्लेख नहीं किया कि मूल पुरूष लाखा जी की मृत्यु 1956 के बाद हुई था या पूर्व हुई। स्पष्टतया वादीया को इस प्रकरण में मूल पुरूष लाखा जी सम्पत्ति वर्ष 1956 से पूर्व में चली आने वर्णन करना था। वादीया द्वारा ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किए गए जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि विवादित भूमिया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादीया द्वारा उत्तराधिकार धारण किए जाने योग्य है। इससे प्रथक साक्ष्य पेश नहीं किए जा सकते है। तद्नुसार आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत् वादपत्र को ही देखा जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना है तो भी वादीया का वाद न तो ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट करता है, जिससे उक्त सम्पत्तियों में उसका हक प्रकट हो तथा उस प्लीडिग्स के आधार पर साक्ष्य ली जा सके। वादीया ने विवादित सम्पत्तिया मूलपुरूष लाखा जी की होना बताया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत् पिता की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पुत्र एवं पुत्रियों का हक अधिकार नहीं होता अर्थात जब तक प्रथम श्रेणी उत्तराधिकार उपलब्ध हो तो उस स्थिति में अन्य श्रेणीयों पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि वादीया द्वारा अपने वाद में धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिम के तहत् उत्तराधिकार अर्जित किए जाने के लिए ऐसा कोई सुस्पष्ट वाद हेतुक अपने वाद पत्र में वर्णित नहीं किया गया है जिससे उक्त वाद साक्ष्यों का मोहताज माना जा सके। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अवधारणा है कि धारा 8 के तहत् पिता के रहते पुत्र/पुत्रियों का सम्पत्ति में कोई हक नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

इस हेतु भी वादीया की ओर से ऐसा कोई भी स्पष्ट दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को मौरूसी सम्पत्ति माना जा सकें। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पा होते है। अप्रार्थी/वादी द्वारा मात्र यह निवेदन कर देना कि साक्ष्य ली जाना आवश्यक है। यह न्यायालय के अभिमत में उचित नहीं है क्योंकि वादीया के वाद के पठन से ही एवम् उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही वाद में कोई वाद हैतुक प्रकट नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी के तहत् वाद खारिज किए जाने के लिए उभयपक्षों द्वारा पेशशुदा न्यायायिक नजीरों के अनुसार वाद पत्र को ही देखा जाना चाहिए, जवाबदावे के कथनों को नहीं देखा जाना चाहिए। वादीया अपने वादपत्र में यह साबित कराने में असफल रही है कि वादग्रस्त आराजीायत किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के जीवनकाल में उसके पुत्र एवं पुत्रियों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के आधार पर वेणा जी वादग्रस्त आराजीयात का सम्पूर्ण रूप से स्वामी है। मात्र वादपत्र मे यह अंकन कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है, इसके आधार पर वादग्रस्त भूमि को मौरूसी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है। वादीया द्वारा जब अपने वाद पत्र में वाद हैतुक के कोई कथन वर्णित नहीं किए गए है तो इससे पृथक साक्ष्य पेश नहीं किए जा सकते, तद्नुसार ओदश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् वादीया को वाद पत्र को ही देखकर निर्णय किया जाना हो तो भी वादीया का वाद न तो ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट करता है, जिससे उक्त सम्पत्तियों में उकस हक अधिकार प्रकट होता हो तथा उन प्लीडिंग्स के आधार पर साक्ष्य ली जा सके। अतः वादपत्र में वादीया का कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं है तथा वादीया का वाद वादीया की प्लीडिंग्स के अनुसार हिन्दु उत्त्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् भी विधि द्वारा वर्जित है, ऐसे में वादीया का वाद आगे चलने योग्य नहीं है, तथा प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद इसी स्टेज पर निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 29/24 सन 2024 वादीया श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता वेणा जी डांगी, धर्मपत्नि लोगर जी डांगी, निवासी–देवरे की मंगरी, भुवाणा, तहसील बंड़गाव, उदयपुर बनाम (1) श्री वेणा पिता स्व. गांगा जी डांगी, निवासी–त्रिमुर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी सेक्टर 4, मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा, उदयपुर (2) श्री अम्बालाल पिता वेणा जी डांगी, निवासी–त्रिमुर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी सेक्टर 4, मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा, उदयपुर (3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी एवम् श्री पन्नालाल मारू, श्री आशीष मारू अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद इसी स्टेज पर निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.22 12:42:43 IST
Reason: SelfAttested